कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/विविध/ 116 /2025 :: लखनऊ, 17, जनवरी–2025

–:: परिपत्र ::–

समस्त सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
अन्तर्गत उत्तर प्रदेश ।

श्री सौरभ सिंह गहलौत, प्रान्तीय अध्यक्ष, दि उत्तर प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा एक पत्र दिनांक 15.01.2025 प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि दि उत्तर प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन, वाराणसी का 48वॉ अधिवेशन दिनांक 24 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रान्त की प्रत्येक जनपद के बलिया से लेकर सहारनपुर तक के अधिवक्ताओं की सहभागिता होगी, जिसके कारण अधिवक्ता बन्धु न्यायालय में 24 जनवरी 2025 से दिनांक 27 जनवरी 2025 तक उपस्थित रहने में असमर्थ रहेगें।

अतः समस्त सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24 जनवरी 2025 से दिनांक 27 जनवरी 2025 तक अपीलों की सुनवाई एकपक्षीय न की जाय।

परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0/17.01.2025
(प्रतिमा श्रीवास्तव)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन– वा0क0अधि0/विविधि/ 116 /2025 :: लखनऊ, दिनांक :: उक्त ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– श्री सौरभ सिंह गहलौत, प्रान्तीय अध्यक्ष, दि उत्तर प्रदेश, टैक्स बार एसोसिएशन ।
2– प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ।
3– पेशकार, मुख्यालय लखनऊ।
4– वरिष्ठ सहायक (विवरण) मुख्यालय।
5– वेब अधिकारी को विभागीय साइड पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से
(तरुण कुमार)
निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।